तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
14.9.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 14.10.22 को पेश हो।
14/10/22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। तहसीलदार नैनवां से रिपोर्ट प्राप्त हुई। बहस प्रा०पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/11/22 को पेश हो।
5.11.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य डी काउंसलिंग कैम्प, देई राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 8.11.22 को पेश हो।
8.11.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दौरे/ अवकाश/अन्य राजकार्य मे तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 9-11-22 को पेश हो।
9.11.22	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उप० है। बहस प्रा०पत्र में वकील प्रार्थी ने ही अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। तहसीलदार नैनवां से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 12/8/22 के अनुसार बंटी कुमार पु० गोपाल व बद्री पुत्र गोपाल व लोकेश कुमार पुत्र गोपाल एक ही व्यक्ति है। इसी प्रकार अनीता पुत्री गोपाल व कोरी पुत्री गोपाल जाति मीणा भी एक ही व्यक्ति है जिनका नाम ग्राम मोतीपुरा पटवार म०ड०ल के ग्राम [illegible] की जमाबंदी सम्वत 2076-79 की खसरा [illegible] 110, 111, 112, 114, 214 में [illegible] खाता [illegible] 275 में शुद्ध किये जाने पर [illegible] नहीं है। तथा ग्राम माणकचौक प.मं. मोतीपुरा की जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता नं- 24 में भी उक्त संशोधन किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.05.17 16:52:46 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने प्रार्थना पत्र, शपथ-पत्र, प्रस्तुत रिकार्ड दस्तावेज आदि का अवलोकन किया। बहस वकील प्रार्थी में दिये गए तर्कों पर मनन किया। तहसीलदार नैनवां की रिपोर्ट के अनुसार नाम संशोधित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ग्राम सबलपुरा पटवार मण्डल मोतीपुरा तहसील नैनवां की जमाबंदी सम्वत् 2076 से 79 की खाता संख्या 110, 111, 112, 114, 214, 275 तथा ग्राम माणकच्यौक पटवार मण्डल ~~मोतीपुरा~~ की जमाबंदी सम्वत् 2076-79 की खाता सं. 24 में दर्ज "बद्री पुत्र गोपाल व लोकेश पुत्र गोपाल" के स्थान पर "बंटी कुमार पुत्र गोपाल" तथा "फौरी पुत्री गोपाल" के स्थान पर "अनिता पुत्री गोपाल" का संशोधन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)	
12/11/22	पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत मे आज पेश हुई। पत्रावली में दिनांक 9.11.22 को निर्णय किया जा चुका है। पत्रावली मे अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। सदस्य तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2023.05.17 15:52:46 IST
Reason: SelfAttested